कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला–बीजापुर (छत्तीसगढ़)

Phone No. 07853-220022 Fax No. 07853-220019 Email : dmfbijapurcg@gmail.com

क्रमांक / 03 /कले. / डी.एम.एफ / 2023 बीजापुर, दिनांक 10 /04/ 2023

–:: विज्ञापन ::–

व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / एफ 7–34 / 2016 / XII नवा रायपुर दिनांक 23.03.2021 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 23.03.2021 के अनुसार, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 नियम 15 (12) के तहत् जिला खनिज संस्थान न्यास जिला बीजापुर हेतु पद संरचना में स्वीकृत **संविदा भर्ती** के अधोवर्णित पदों के लिए निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से **दिनांक** 09/05/2023 **सायं 5.30 बजे तक** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं –

क्रमांक	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन	रिक्त पद की संख्या
1	लेखापाल	18420 / –	01 (अनारक्षित)
2	भृत्य	11,360 / –	01 (अनारक्षित)

पद का विवरण –

1. **लेखापाल**

1.1 चयन की प्रक्रिया :– संविदा पर। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित।

1.2 अर्हता :– (1) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण।
(2) उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड–01 को संविदा से लिया जा सकेगा।
(3) मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान।

1.3 अनुभव :– 05 वर्ष का लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

1.4 आयु सीमा :– 21 से 65 वर्ष।

1.5 वेतनमान :– रुपये 18420 एकमुश्त प्रतिमाह।

1.6 दायित्व :– जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित परियोजनाओं में होने वाले व्यय का लेखा परीक्षण / ऑडिट / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 नियम 25 में दिये गये कार्यों का सम्पादन करना।

1.7 प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित निर्देशों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 से संबंधित नियम, निर्देशों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. भृत्य

2.1 चयन की प्रक्रिया :– संविदा पर। कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित।

2.2 अर्हता :– मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

2.3 आयु सीमा :– 21 से 40 वर्ष।

2.4 वेतनमान :– राशि रुपये 11360 एकमुश्त प्रतिमाह।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में निहित शर्तों एवं छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार की जावेगी।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन या मृत्यु लाभ की पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. आयुसीमा–सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए दी जा सकेगी।
5. **आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।**
6. लेखापाल पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर एवं Tally के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।
7. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ वांछित शैक्षणिक अर्हता/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अजजा/अजा/अपिव वर्ग के उम्मीदवारों को जाति की पुष्टि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आयु संबंधी प्रमाण के लिए लेखापाल पद हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एवं भृत्य पद हेतु 5वीं की अंकसूची मान्य होगा।
10. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. विज्ञापित पद के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ए–4 साईज के पेपर पर किये जावे। **लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा** इसी प्रकार प्रेषक का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखना होगा, इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ 5/– रु. का डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पूर्ण पता लिखित दो लिफाफा पृथक से संलग्न करना होगा।
12. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर आवेदक के द्वारा स्वयं की नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित कर चस्पा करना आवश्यक है।
13. अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण/हस्ताक्षर विहीन/आरक्षण के विपरीत/वांछित अर्हता, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न होना नहीं पाये जाने तथा निर्धारित अर्हता व योग्यता नहीं रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र अमान्य कर दिया आवेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा जिसके लिये आवेदक स्वतः उत्तरदायी होगा।
14. **आवेदन पत्र नोडल अधिकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास, कलेक्टोरेट परिसर बीजापुर जिला–बीजापुर (छत्तीसगढ़) पिन–494444 में दिनांक** 09/05/2023 **सायं 5:30 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से या विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
15. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय/आदेश अंतिम व बंधनकारी होगा।
17. अन्य शर्तें छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अनुरूप होंगे।
18. परिस्थितिवश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति/विज्ञप्ति का आंशिक भाग निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को होगा।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार विज्ञापन जारीकर्ता का होगा।

20. विज्ञापन से संबंधित शर्तें व नियम, आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर, जिला बीजापुर एवं कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर के सूचना पटल पर किया जा सकेगा साथ ही वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकेगा।

संलग्न :— आवेदन पत्र का प्रारूप।

नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला—बीजापुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 03 A / कले. / डीएमएफ / 2023 **बीजापुर, दिनांक 10 / 04 / 2023**

प्रतिलिपि :—

1. व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, ब्लॉक—डी, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर को सूचनार्थ एवं कार्यालय जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला बीजापुर। उक्त विज्ञापन को www.bijapur.gov.in, www.bijapur.gov.in/zillapanchayat में अपलोड करने हेतु।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला बीजापुर की ओर सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला—बीजापुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा कर स्वप्रमाणित करें।

प्रति,

नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला–बीजापुर (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम : ....
3. पिता / पति का नाम : ....
4. वर्ग : ....
   (अना / अजा / अजजा / अपिव)
5. लिंग (पुरूष / महिला) : ....
6. जन्म तिथि : ....
7. आयु (01.01.2023 की स्थिति में) : ....
8. स्थायी पता : ....
   ....
   ....
9. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
   ....
10. मोबाईल नंबर : ....
11. शैक्षणिक योग्यता –

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम				बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
			पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	

12. अनुभव –

क्र.	पद का नाम	नियोक्ता का पदनाम व कार्यालय	कार्य का स्वरूप	कार्यावधि (दिनांक से दिनांक तक)	कुल अनुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

13. अन्य कोई जानकारी यदि हो तो – : ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप :– शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूलनिवासी, योग्यता अनुभव/अनापत्ति, व्यावसायिक योग्यता, रोजगार पंजीयन एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची –

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें से कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान –

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर